राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1877/2014/डूंगरपुर

मैसर्स शक्ति सेल्स ऐजन्सी,
डूंगरपुर .....अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, बांसवाडा .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित : :

श्री राकेश मेहता,
अभिभाषक । .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री डी.पी.ओझा,
उप–राजकीय अभिभाषक। .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 08.03.2017

निर्णय

1. अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील अतिरिक्त आयुक्त, अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 48/वेट/13–14/डूंगरपुर में पारित अपीलीय आदेश दिनांक 04.08.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, वृत–बांसवाडा (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 25,61(1) के अन्तर्गत पारित आदेश दिनांक 17.10.2013 के जरिये कायम की गयी कर ₹ 2,01,500/– तथा शास्ति ₹ 4,03,000/– के तहत विवादित किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी के द्वारा उपायुक्त (प्रशासन) के निर्देशानुसार अपीलार्थी फर्म का सर्वेक्षण किए जाने पर 3,10,000/– ₹ का करयोग्य विमल पान मसाला मय जर्दा की उचन्ति बिक्री पाई गई। उचन्ति बिक्री पाई जाने के कारण कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 25, 61(1) के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया। नोटिस की पालना में फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि ने जवाब पेश कर अपनी गलती स्वीकार की। कर निर्धारण अधिकारी ने गलती स्वीकार की जाने के कारण उचन्ति माल की बिक्री ₹ 3,10,000/– पर कर ₹ 2,01,500/– एवं अधिनियम की धारा 61 के तहत कर की दुगनी शास्ति ₹ 4,03,000/– आरोपित करते हुए कुल मांग ₹ 6,04,500/– की मांग सृजित की है। उक्त सृजित मांग के विरुद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उन्होनें अपील अस्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 04.08.2014 पारित किया है जिसके विरुद्ध अपील कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने बिना किसी आधार के मनमाने ढंग से 25 कार्टून विमल पान मसाला मय जर्दा की कीमत ₹ 3,10,000/– को उचन्ति बिक्री मानकर उस पर करारोपण एवं शास्ति

लगातार.....2

आरोपण में वैधानिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि की है, क्योंकि जर्दा मिक्स पान मसाला प्रथम बिन्दु पर कर योग्य है। समस्त माल राज्य से क्रय कर विक्रय किया जाता है। अभिभाषक ने आगे कथन किया कि उक्त प्रकरण में विमल पान मसाला मय जर्दा पर जो शास्ति आरोपित की है उसकी कीमत में कर राशि सम्मिलित है, कर राशि को कम करने के पश्चात शास्ति का आरोपण किया जावें। उपर्युक्त आधार पर अपीलार्थी व्यवहारी ने अपीलीय अधिकारी के आदेश को निरस्त कर प्रस्तुत अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता अपीलीय अधिकारी एवं सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेशों का समर्थन करते हुए उन्होंने व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया, प्रस्तुत रिकार्ड तथा न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अध्ययन किया गया। रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि व्यवसायी ने अपने जवाब में लिखित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर स्वीकार किया कि उसने उक्त माल की बिक्री की नियमित बिल जारी नहीं किये है तो ऐसे प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर SB CIVIL REVISION PETITION NO. 102/2008 मैसर्स राजेन्द्र इलेक्ट्रिकल्स बनाम स.वा.क.अ. घट--प्रथम जालौर के निर्णय दिनांक में यह निर्धारित किया गया कि :–

The assessee himself gave in his own hand-writing before the Assessing authority that by mistake the bills of some goods were not issued meaning thereby in writing it is confessed by the assessee that certain goods were lying in the premises for which no bills were issued."

व्यवसायी के द्वारा अपराध की स्वीकारोक्ति के पश्चात किया गया शास्ति आरोपण विधिक है। इसी प्रकार माननीय न्यायालय ने 5 RTJS 60 TUD 20 में मैसर्स राजा ग्लास हाउस के प्रकरण में निर्णय दिया है। व्यवसायी ने अपने बयान में स्वीकार किया कि उसके पास उक्त माल का कोई खरीद बिल नहीं है व ना ही इस माल कर विक्रय बिल जारी किया गया, इस प्रकार उक्त माल की खरीद बिक्री उचन्ति की गई है। जिसका कोई रेकार्ड व बहियात नहीं है। इससे जाहिर होता है कि व्यवसायी ने उक्त माल पर जब कोई कर राशि जमा ही नहीं कराई तो उसका माल के मूल्य को कम करावाने का कोई आधार नहीं है। अतः इस बिन्दु पर अपीलार्थी व्यवहारी की आपत्ति अस्वीकार की जाती है।

7. उपरोक्तानुसार अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(मदन लाल मालवीय)
सदस्य